कार्यालय मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित

मुख्यालय जहांगीराबाद, भोपाल

क्र0/स्था0वि0/ 5935 / 2015 भोपाल दिनांक 16/10/2015

आदेश

निम्नलिखित व्यक्तियो को संघ द्वारा, क्षेत्र सहायक पद हेतु, सीधी भर्ती की चयनित सूची में से प्रतीक्षा सूची अन्तर्गत अस्थाई रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर **क्षेत्र सहायक** के पद पर वेतनमान रूपये 5200–20200 ग्रेड पे रु0 1900/– एवं विपणन संघ द्वारा समय–समय पर स्वीकृत मंहगाई भत्ता एवं देय अन्य सुविधाओ पर कार्य पर उपस्थित होने की दिनांक से नियुक्त कर निम्नांकित दर्शाये अनुसार पदस्थापना स्थल पर पदस्थ किया जाता है:–

क्र0	नियुक्ति किए गए व्यक्ति का नाम एवं पता	चयनित संवर्ग	पदस्थापना स्थल का नाम एवं पता
1.	श्री विजय सिंह पटटा आत्मज श्री केशव सिंह पटटा वार्ड क्र.–6 स्टेट बैंक के पास खनूजा कालोनी जिला डिडोंरी (म0प्र0)	अ0ज0जा0	भंडारण केन्द्र नरसरहा, द्वारा कार्यालय जिला विपणन अधिकारी, म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या0 शहडोल (म0प्र0)
2.	श्री लोकेन्द्र सिंह गणावत आत्मज श्री कालूराम गणावत पता–ब्लोक सी–1 रूम नं. 108,नियर एमआईटी कालेज न्यू पुलिस कोलोनी मंदसौर (म0प्र0) 481880	अ0ज0जा0	भंडारण केन्द्र खंडवा, द्वारा कार्यालय जिला विपणन अधिकारी,म0प्र0 राज्य सहकारी विपणम संघ मर्या0 खंडवा (म0प्र0)
3.	सुश्री निशा मंडोड आत्मज श्री दशरथ मंडोड पता– फारेस्ट ट्रेनिंग के पीछे माधवपुरा जिला झाबुआ (म0प्र0)	अ0ज0जा0 (महिला)	कार्यालय मंडल प्रबंधक म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या0 मंडल कार्यालय उज्जैन (म0प्र0)

उक्त चयनित उम्मीदवार आदेश जारी होने के 20 दिवस के भीतर उक्त दर्शाये गये संघ के जिला कार्यालय/मंडल कार्यालय में पूर्वान्ह 10:30 बजे उपस्थित होकर संघ के जिला/इकाई प्रमुख को उपस्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगें।

उक्त नियुक्ति की शर्ते निम्नवत् रहेगी :–

1. अभ्यर्थी की सेवाऐं संघ (म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित म0प्र0) के सेवानियमानुसार शासित होगी।

2. संघ में कार्य पर उपस्थिति के समय अभ्यर्थी को निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करना होगें :–

   2.1 मेडिकल फिटनेस का मूल प्रमाण पत्र (जिले के किसी शासकीय चिकित्सा अधिकारी जो कम से कम असिस्टेंट सर्जन हो)।

2.2 दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा हाल ही में जारी चारित्रिक प्रमाण पत्र(जो कि अधिकतम 1 माह से पूर्व का न हो)

2.3 यदि अभ्यर्थी पूर्व से किसी संस्था में नियुक्त है तो उसके द्वारा पूर्व नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र

2.4 शैक्षणिक अर्हता, अनुभव आदि के समस्त मूल प्रमाण पत्र एंव उनकी छायाप्रतियां राजपत्रित अधिकारी अथवा नोटरी से सत्यापित

2.5 आदेश के साथ संलग्न चरित्र सत्यापन हेतु अनुप्रमाणन फार्म, शपथ पत्र एंव पहचान प्रमाण पत्र पूर्ण कर संघ के उपस्थित स्थल के जिले के जिला/इकाई/कार्यालय प्रमुख को प्रस्तुत करना होगा।

संबंधित कार्यालय/जिला प्रमुख उक्त अभिलेखों का मूल प्रति से मिलान कर एंव सत्यापित कर छायाप्रतियां, उपस्थिति प्रतिवेदन सहित विपणन संघ मुख्यालय भोपाल को पंजीकृत डाक से तत्काल भेजें।

3. नियुक्त अभ्यर्थी को आदेश जारी होने के 20 दिवस के अन्दर कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा स्थिति में यह मानकर की अभ्यर्थी संघ की सेवा में नियुक्त नही होना चाहता अतः उसका चयन एंव निुयुक्ति आदेश विपणन संघ द्वारा निरस्त किया जा सकेगा।

4. नियुक्त अभ्यर्थी संघ की सेवा के प्रति समर्पित रहेगा। स्वंय को किसी भी व्यापार/कारोबार या जीविकोपार्जन में प्रत्यक्ष या परोक्ष रुप से नही लगायेगा और न ही स्वंय को जानबूझ कर अनुपस्थित रखेगा।

5. नियुक्त अभ्यर्थी सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/निर्देशों के बिना कोई भी सूचना/जानकारी किसी अन्य व्यक्ति अथवा अन्य विभाग को किसी भी माध्यम से नही देगा तथा कार्यालयीन गोपनीयता भंग नही करेगा।

6. संघ में नियुक्ति के प्रथम दो वर्ष परिवीक्षा अवधि में रहेगें। परिवीक्षा अवधि में अभ्यर्थी को संतोषजनक परिणाम देना होगा। परिवीक्षा अवधि में परफारमेंस रिपोर्ट संतोषजनक नही पाये जाने की दशा में अभ्यर्थी को सेवा से पृथक किया जा सकेगा।

7. अभ्यर्थी को सेवाकाल में म0प्र0 के किसी भी जिले या स्थान जहां पर विपणन संघ का गोदाम/कार्यालय/क्रियाकलाप होगें, पदस्थ किया जा सकेगा अथवा कार्य करने हेतु आदेशित किया जा सकेगा। जिला कार्यालय अन्तर्गत पदस्थ किये जाने वाले अभ्यर्थी अपना व्यवहारिक प्रशिक्षण संबंधित संघ के जिला कार्यालय के अधीन प्राप्त करेगें।

8. जिन अभ्यर्थियों को इस आदेश में संघ के जिला कार्यालय अन्तर्गत किसी भंडारण केन्द्र में पदस्थापना की गई है ऐसे अभ्यर्थी प्रथमतः अपनी उपस्थिति संघ के जिला विपणन अधिकारी को देगें। जिला विपणन अधिकारी से कार्य संबंधित 15 दिवसीय व्यवहारिक प्रशिक्षण, जिसमें से 10 दिवसीय प्रशिक्षण आवश्यक रुप से जिले के भंडारण केन्द्रों में होगा, प्राप्त कर अभ्यर्थी पदस्थी स्थल पर उपस्थित होने हेतु कार्यमुक्त होगें।

9. अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति के तारतम्य में दी गई कोई भी जानकारी, किसी भी स्तर पर, किसी भी समय असत्य अथवा त्रुटिपूर्ण पाई जाने पर उनकी सेवाएँ नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त की जा सकेगी।

10. अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति हेतु आवेदन के साथ यथाआवश्यक अ0जा0/अ0ज0जा0/अ0पि0व0 से संबंधित संलग्न जाति प्रमाण पत्र का, सत्यापन जारीकर्ता कार्यालय/सक्षम अधिकारी से कराया जावेगा। सत्यापन में विपरीत स्थिति पाये जाने पर नियुक्ति निरस्त करते हुए, संबंधित के विरूद्व वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

11. यह नियुक्ति आदेश मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क0/एफ सी 3–15/2012/1/3 भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 2012 से जारी निर्देशों अन्तर्गत चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे है। चरित्र सत्यापन की रिर्पोट में अभ्यर्थी संघ की सेवा के अयोग्य पाये जाने पर उसकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाएगी।

12. प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पद की नियुक्ति के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एंव अन्य पिछडा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया गया है।

(अरुण माथुर)
सचिव

पृ0क0/स्था0वि0/ 5935. **/ 2015 भोपाल दिनांक** 16/10/2015

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. श्री/श्रीमति/कु0 .... सहायक को सूचनार्थ एवं आदेश के पालनार्थ।
2. जिला विपणन अधिकारी म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. ...मंदसौर...... म0प्र0।
3. मंडल प्रबंधक म0प्र0 राज्य सहकारी विपणन संघ मर्या. .... म0प्र0।
4. मुख्यलेखाधिकारी सह वित्तीय नियंत्रक मुख्यालय भोपाल।
5. विशेष कर्तव्य अधिकारी, (कृ0/सां0/विपणन) शाखा मुख्यालय भोपाल।
7. निज सहायक, अध्यक्ष/प्रबंध संचालक को, अध्यक्ष/प्रबंध संचालक महोदय के सूचनार्थ।
8. संबंधित की व्यक्तिगत/वेतन वृद्वि/अवकाश/चरित्रावली नस्ती हेतु।

सचिव

D:\L.D.C. 2013.doc